न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 77/2020

GCMS NO. : 2020/00145

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. रूगाराम पुत्र भंवरलाल जाति–जाट निवासी–बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.20/07/2021

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री देवेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/02/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 609 रकबा 25–02 बीघा एण्वं खसरा नम्बर 618/2 रकबा 10–06 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति के पारिवारिक बंटवाडा के नामान्तरण संख्या 233 दिनांक 01/02/1974 को भरते समय राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रूगाराम पुत्र भोला दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम रूगाराम पुत्र भंवरलाल है। वादी के राशन–कार्ड, आधार–कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि में भी वादी का नाम रूगाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज है। इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 17/06/2020 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चली। अतः उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। ग्राम बलाडा में वादी के नाम का व्यक्ति वादी ही है इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है और राजस्व रेकर्ड में जो नाम है उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है इसलिए वादी के पास कोई विकल्प शेष नहीं [illegible] से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष [illegible] पेश है। बिनाय वाद दिनांक 17/06/2020 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम बलाडा तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया कि वाद में दायर खसरा नम्बर 609, 618/2 की भूमि का वादी खातेदार है। मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान बलाड़ा में जॉच अनुसार वादी का सही नाम रूगाराम पुत्र भंवरलाल है। पैरा संख्या 03 स्वीकार है। पैरा संख्या 4 से 7 कानूनी बिन्दू है। वादी का सही नाम रूगाराम पुत्र भोला के स्थान पर रूगाराम पुत्र भंवरलाल करना उचित है।

वादी ने मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये जो सा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी संवत् 2028-2031 (प्रदर्श-7) में अंकित नामान्तरण के नोट एवं नामांतरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श-5) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम बलाडा के खसरा नम्बर 609 रकबा 25-02 बीघा एण्वं खसरा नम्बर 618/2 रकबा 10-06 बीघा के भू-अभिलेख में 'रूगाराम पुत्र भोला' की प्रविष्टि जरीये नामां.संख्या 233 दिनांक 01/02/1974 के द्वारा दर्ज हुई। पत्रावली पर उक्त प्रविष्टि के बाद की संवत्वार जमाबंदियाँ (प्रदर्श-8 से प्रदर्श-14) उपलब्ध है जिसमें 'रूघाराम पुत्र भोलाराम' की प्रविष्टि अंकित है। वादी रूगाराम पुत्र भंवरलाल के साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम रूगाराम पुत्र भंवरलाल है ना कि रूगाराम पुत्र भोला। वादी ने यह कथन किया कि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज रूगाराम पुत्र भंवरलाल के नाम से है। प्रदर्श दस्तावेजात यथा प्रदर्श-1ए (राशन कार्ड), प्रदर्श-2ए (आधार-कार्ड), प्रदर्श-3ए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र), प्रदर्श-15ए (पैन-कार्ड) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का नाम रूगाराम पुत्र भंवरलाल है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया है कि मजमे-आम में जांच अनुसार वादी का सही नाम रूगाराम पुत्र भंवरलाल है न कि रूगाराम पुत्र भोला। मजमे आम में पूछताछ करने पर पाया गया कि भोलाराम रूगाराम के दादाजी थे। भोलाराम जी के दो पु[illegible]लाल एवं मिश्रु जी थे। रेकर्ड में रूगाराम के पिता का नाम भंवरलाल [illegible] होकर उसके दादा रूगाराम पुत्र भोला दर्ज हो गया। रूघाराम [illegible] रूगाराम पुत्र भंवरलाल दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

एक ही व्यक्ति है। मजमे–आम जांच के आधार पर रूगाराम पुत्र भोला शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में वादी का नाम 'रूघाराम पुत्र भोलाराम' के स्थान पर 'रूगाराम पुत्र भंवरलाल' दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाबदावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम 'रूगाराम पुत्र भंवरलाल' है न कि 'रूघाराम पुत्र भोलाराम'। भू–अभिलेख में दर्ज 'रूघाराम पुत्र भोलाराम' वस्तुतः एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पटवार हल्का बलाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 609 रकबा 25–02 बीघा एण्वं खसरा नम्बर 618/2 रकबा 10–06 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''***रूघाराम पुत्र भोलाराम***'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***''रूगाराम पुत्र भंवरलाल''*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादी :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. रूगाराम पुत्र भंवरलाल जाति–जाट निवासी–बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0: 77/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री देवेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पटवार हल्का बलाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 609 रकबा 25–02 बीघा एण्वं खसरा नम्बर 618/2 रकबा 10–06 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''***रूघाराम पुत्र भोलाराम***'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ''***रूगाराम पुत्र भंवरलाल***'' दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/02/2022** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	6.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	10.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested